राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र संख्या – 28/2013/जयपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–2274/2008/जयपुर)

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, चैकपोस्ट शाहजहांपुर अलवर
द्वारा–वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,अलवर. ....अपीलार्थी (अप्रार्थी)

बनाम

मैसर्स गोयल मिनरल्स एण्ड केमिकल्स,
एफ–218–19, रोड़ नं0 10, वी.के.आई.ए., जयपुर. ....प्रत्यर्थी (प्रार्थी).

एकलपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सी.एल.शर्मा, अभिभाषक .....प्रार्थी व्यवहारी की ओर से.

श्री वैभव कासलीवाल,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी विभाग की ओर से.

दिनांक : 19/5/2014

निर्णय

प्रार्थी व्यवहारी द्वारा यह रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के अपील संख्या 2274/2008/जयपुर में पारित किये गये एकपक्षीय निर्णय दिनांक 8.7.2013 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है। एकलपीठ ने उक्त निर्णय से अप्रार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, चैकपोस्ट शाहजहांपुर, अलवर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.9.2001 को पुनः बहाल किया गया है।

प्रार्थी व्यवहारी के रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी का रजिस्टर्ड कार्यालय 308, द्वितीय तल, शालीमार कॉम्प्लेक्स, चर्च रोड़, जयपुर है, जबकि माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा प्रेषित समस्त नोटिस एफ–218–19, रोड़ नं0 10, वी.के.आई.ए., जयपुर के पते पर प्रेषित किये गये हैं। उक्त पता प्रार्थी के गोदाम का था, जो कि वर्तमान में खाली कर दिया गया है एवं यहां पर किसी प्रकार का कार्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा प्रकरण की सुनवाई हेतु प्रेषित कोई नोटिस उन्हें प्राप्त नहीं होने से वे कर बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके।

लगातार.....2

विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि उक्त गोदाम का पता ना तो सक्षम अधिकारी के आदेश में अंकित है, ना ही उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश में अंकित है। विभाग द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18.8.2008 के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड में प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न प्रपत्र वैट—29 में, व्यवहारी के पते के रूप में उक्त गोदाम का पता अंकित कर दिया गया, जबकि वहां प्रार्थी व्यवहारी का कोई कार्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी व्यवहारी को विभाग द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने की जानकारी भी उपलब्ध नहीं हो सकी। व्यवहारी को विभाग द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने एवं निर्णय हो जाने की जानकारी सर्वप्रथम, उक्त अपील निर्णय की पालना में वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—शाहजहांपुर (अलवर) द्वारा अपील प्रभाव देने हेतु पारित किये गये निर्णय दिनांक 01.11.2013 की प्रति प्राप्त होने पर हुई, जबकि आश्चर्यजनक रूप से उक्त आदेश की प्रति व्यवहारी के 308, द्वितीय तल, शालीमार कॉम्प्लेक्स, चर्च रोड़, जयपुर के पते पर प्रेषित की गई है।

विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि विभाग द्वारा सुनवाई दिनांक 18.01.2013 की सूचना भी नियमित/राष्ट्रीय समाचार—पत्र में प्रकाशित नहीं करवाकर **'ईवनिंग पोस्ट'** नामक अखबार में प्रकाशित करवाई गई है, जो सुबह प्रकाशित न होकर शाम को प्रकाशित होता है एवं बहुत कम व्यक्ति उक्त अखबार पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में कर बोर्ड में सुनवाई की सूचना प्रार्थी को प्राप्त नहीं हो सकी एवं इसी कारण सद्भाविक रूप से प्रार्थी कर बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। अतः कर बोर्ड द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में एकतरफा कार्यवाही करते हुए, प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, उसके विरूद्ध निर्णय पारित किया गया स्पष्ट रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्थान कर बोर्ड का एकपक्षीय पारित किया गया आदेश दिनांक 8.7.2013 अपास्त करते हुए, अपील रेस्टोर करने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने माननीय राजस्थान कर बोर्ड के आदेश दिनांक 8.7.2013 का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण एकतरफा गुणावगुण के आधार पर निर्णीत किया गया है। अपील का निस्तारण अदम हाजरी में नहीं किया गया है, इसलिए प्रार्थी का रेस्टोरेशन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....3

प्रार्थी के रेस्टोरेशन प्रार्थना—पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णीत किया गया है। अपीलार्थी ने प्रार्थना—पत्र वैट—32 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 33 के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रावधानानुसार जहां अपील का निष्पादन अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अदम हाजरी में किया जाता है। वहां अपील रेस्टोरेशन का प्रावधान लागू होता है। नियम 33 निम्न प्रकार है :—

33. Dismissal in default.

(1) Where an appellant or his authorized representative does not appear on the date fixed for hearing of an appeal filed under rule 30 or 31, the appellate authority or the Tax Board, as the case may be, may dismiss the appeal in default.

(2) Where the appellant makes an application in Form VAT-32 within thirty days of the date of communication of such order, and satisfies the authority who dismissed the appeal, that he was prevented by sufficient cause from appearing before him on the date that had been fixed for hearing, such appeal may be restored with such conditions as may be deemed fit.

अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णीत की गई है। इसलिए नियम 33 के तहत आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः रेस्टोरेशन प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
19/05/14